न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–129/2023

रघुवर शरण.....वादी

बनाम

शैलेन्द्र यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
18.03.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की तरफ से एक आवेदन दिनांक 25.11.2025 अंदर आदेश 06 नियम 17 व्य0प्र0सं0 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है जो आज दिनांक 18.03.2026 को आदेश हेतु निश्चित है। वादी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद पत्र दाखिल करने के बाद मुदई को पता चला है कि प्रस्तुत वाद के शैलेन्द्र यादव ने गलत आधार पर वाद पत्र के एराजी में से खाता 37, खेसरा 138, रकबा–0–0–01 भूमि को छोटन यादव वल्द स्व0 वदरी यादव को बैनामा कर दिया है तथा राजेन्द्र यादव मु0 आशा देवी, सुनील यादव, अनिल यादव वो संदीप यादव के द्वारा भी वाद भूमि पर विवाद किया जा रहा है तथा वे कहते है कि वाद भूमि में से हमलोग ने खरीद बिक्री किया है, कोई दस्तावेज भी नहीं दिखा रहे है। इन सभी व्यक्तियों को इस वाद में मुदालहम पक्षकार बनाना न्यायहित में आवश्यक है। यह संशोधन आवेदन बिल्कुल ही साधारण प्रकृति का है। इस संशोधन आवेदन के स्वीकार होने से वाद पत्र के स्वरूप वो प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि इस संशोधन आवेदन को स्वीकार करते हुए वाद पत्र में मुदई को आवेदनानुसार संशोधन करने की अनुमति देने की कृपा प्रदान किया जाए। प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया लेकिन मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा आदेश 06 नियम 17 के तहत एक आवेदन दिनांक 25.11.2025 को दाखिल किया गया तथा	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–129/2023

रघुवर शरण.....वादी

बनाम

शैलेन्द्र यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 18.03.2026	निवेदन किया गया कि इस संशोधन आवेदन को स्वीकार करते हुए वाद पत्र में मुदई को आवेदनानुसार संशोधन करने की अनुमति देने की कृपा प्रदान किया जाए। विधि का सुस्थापित नियम है कि पक्षकार को ऐसे किसी भी संशोधन करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो वाद से संबंधित प्रतीत होता हो, जिससे वाद का निष्पादन प्रभावी ढंग से किया जा सकें और वाद की बहुलता को रोका जा सकें। वादी का आवेदन सामान्य प्रकृति का है तथा इससे वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः न्यायहीत में वादी का आवेदन दिनांक 25.11.2025 को स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अंदर वाद पत्र में आवेदनानुसार संशोधन करे। वाद दिनांक 07.04.2026 को अग्रीम वास्ते निश्चित किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	